सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्रीयादे माटी कला बोर्ड

(कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग)
314-315, तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

राज्य सरकार की 80% अनुदान योजना के तहत विद्युत चालित चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीन प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन की सूचना

राजस्थान सरकार की **बजट घोषणा वर्ष 2026-27** के तहत माटी कला कामगारो/कलाकारो के उत्थान हेतु **5000 विद्युत चालित चाक एवं मिट्टी गूथने की मशीने** (पगमील) प्रदेश के माटी कला कामगारो को **80% प्रतिशत सरकारी अनुदान व 20% प्रतिशत स्वयं के अंशदान** पर उपलब्ध करायी जानी है। विद्युत चालित चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीन प्राप्त करने हेतु **ऑनलाइन आवेदन एसएसओ आईडी/ई-मित्र** के माध्यम से आमंत्रित किये जा रहे हैं।

ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जानकारी

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ तिथि	11 अगस्त, 2026
2.	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	10 सितम्बर 2026
3.	आवश्यक अर्हता / पात्रता	1. आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर हो 2. पूर्व में श्रीयादे माटी कला बोर्ड की योजनान्तर्गत चाक/मिट्टी गूंथने की मशीन प्राप्त किया हुआ ना हो।
4.	प्राथमिकता	1. दिव्यांग 2. एकल/परित्यक्ता / विधवा महिला 3. राजीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिला
5.	दस्तावेज	1. जनाधार कार्ड/राशनकार्ड 2. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र 3. दिव्यांग प्रमाण पत्र

- आवेदक ऑनलाइन आवेदन एसएसओ आईडी के माध्यम से ई-मित्र अथवा अन्य इंटरनेट कियोस्क / कैफे के माध्यम से अथवा घर बैठे स्वयं कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से भी अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं।
- आवेदन पत्र **महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र / राजपत्रित अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी/ पटवारी / उद्योग प्रसार अधिकारी** द्वारा सत्यापित करवाकर अपलोड करवाना अनिवार्य है (इसके लिए आवेदन फार्म की हार्ड कॉपी पोर्टल अथवा वेबसाईट से डाउनलोड की जा सकती है)।
- चयनित आवेदकों को मशीन प्राप्त करने के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
- जिन लोगों ने पूर्व में श्रीयादे माटी कला बोर्ड में आवेदन किया पर लाभ नहीं मिला अब इस योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु उन्हें भी **पुनः आवेदन करने की आवश्यकता है।**
- एक जनाधार कार्ड से एक ही आवेदन स्वीकार्य है।

नोटः 1. पात्र चयनित आवेदक द्वारा स्वयं की 20% प्रतिशत हिस्सा राशि जमा कराने के पश्चात् ही आर्टीजनों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। प्रशिक्षण प्राप्त आर्टीजनों को ही मशीन उपलबध करवायी जा सकेगी।

2. जिन आर्टीजनों ने पूर्व में केन्द्र / राज्य सरकार की योजनान्तर्गत विद्युत चाक प्राप्त किया हुआ है, वो मिट्टी गूंथने की मशीन 80 प्रतिशत अनुदान पर प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते है।

अधिक जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश बोर्ड की वेबसाइट **WWW.SMKB.RAJASTHAN.GOV.IN** पर देखे जा सकते हैं।

राज.संवाद/सी/26/

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Size 12x20